


129



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वाली वर, म.प्र.

R 3795 PBR/15

पुनःयाचिका क्रः

श्रवणा तिथि कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर श्री जितेन्द्र बुग्गीवाल प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 03.11.2015 को प्रस्तुत।

1. भगवानदास पिता हेमलाल शाह
  2. ईश्वर पिता हेमलाल शाह
- दोनो निवासी मोहल्ला बुधवारा, शहर तह. व जिला बुरहानपुर म.प्र.

1601/03.11.2015

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

== याचिकाकतगिणा

=विषयद=

1. मगनराव पिता महादेव बावरे, निवासी मोहल्ला दौलतपुरा, जोशी वाडा, शहर तह. व जिला बुरहानपुर म.प्र.

== प्रत्यर्थी

याचिका

पुनरोक्षणा / म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत



=====

यह कि याचिकाकतगिणा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर के द्वारा द्वितीय राजस्व अपील प्रकरणा क्रमांक-82/2014-15 पक्षकार " भगवानदास व अन्य=विषयद= मगनराव के प्रकरणा में पारित अदिश दिनांक 27.08.2015 से असंतुष्ट होकर यह पुनरोक्षणा याचिका श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है:-


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.निगरानी 3795-पीबीआर/2015

जिला-बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2018	<p>आवेदकपक्ष की ओर सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री हरजीतसिंह छाबडा अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रकरण आवेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थिति रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>